बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0०स० :–3/अ0प्र0–1–32/2017 4214 /पटना, दिनांक :– 16.4.25

जल संसाधन विभाग, तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा, मुजफ्फरपुर अंतर्गत तिरहुत मुख्य नहर के वि0दु0–740 पर चल रहे कैनाल लाईनिंग कार्य में प्रयक्त ईंटों की गुणवत्ता प्राक्कलन में प्रावधानित विशिष्टी के अनुरूप नहीं पाये जाने एवं लाईनिंग कार्य में प्रयुक्त मोर्टार में सीमेंट एवं बालू के अनुपात में बालू प्राक्कलन में प्रावधानित विशिष्टि से ज्यादा पाये जाने के मामले में श्री अशोक कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा जल संसाधन विभाग के पत्रांक 193 दिनांक 07.02.2017 द्वारा विभाग से की गई।

2. जल संसाधन विभाग से प्राप्त अनुशंसा एवं प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्री अशोक कुमार, कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 2558 दिनांक 25.08.2017 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री कुमार द्वारा विभाग को स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने के कारण विभागीय पत्रांक 156 दिनांक 25.01.2022 द्वारा उन्हें अंतिम रूप से स्मारित किया गया। इसके बावजूद श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप श्री कुमार के विरूद्ध अद्यतन प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत अधिसूचना सं0 2059 दिनांक 09.12.2022 द्वारा मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इसके निमित्त श्री चन्द्रशेखर सिंह, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. मुख्य अभियंता–2–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 524 अनु0 दिनांक 08.02.2024 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जॉच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप सं0 1 एवं 2 प्रमाणित नहीं माना जा सकता है का मंतव्य अंकित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग से समीक्षोपरान्त मंतव्य की अपेक्षा की गई। अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव द्वारा इसकी समीक्षा मुख्य अभियंता (निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण) से कराई गई एवं मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण द्वारा की गई समीक्षा एवं मंतव्य से सहमति व्यक्त की गई।

5. मुख्य अभियंता, निर्माण एंव गुणवत्ता नियंत्रण द्वारा मामले की समीक्षोपरान्त यह उल्लेख किया गया कि इसी मामले में तत्कालीन सहायक अभियंता श्री संजीव दत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में जल संसाधन विभाग के अधिसूचना सं0 43 दिनांक 14.01.2021 द्वारा श्री दत्त को इस आधार पर आरोप मुक्त किया गया है कि प्रश्नगत न्यून विशिष्टि के कार्यों को अमान्य करते हुए मापीपुस्त में इनकी प्रविष्टि नहीं किया गया, जिसके कारण उक्त कार्य का भुगतान नहीं किया जा सका। उक्त कार्य का भुगतान नहीं किये जाने से किसी प्रकार के वित्तीय क्षति होना परिलक्षित नहीं होता है। संवेदक द्वारा समर्पित 10 वॉ चालू विपत्र से स्पष्ट है कि वि0दू0 739 से 740 के बीच दिनांक 01.011.2011 से 25.11.2011 तक लाईनिंग कार्य कराया गया है तथा वि0दू0 740 पर कराये गये लाईनिंग कार्य का भुगतान दिनांक 30.03.2012 को कर

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

दिया गया है। उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि लाईनिंग का कार्य श्री अशोक कुमार के पदस्थापन काल में कराया गया है किन्तु कार्य का भुगतान आरोपित पदाधिकारी के निलंबन के बाद का है अतएव प्रथम दृष्टया श्री कुमार दोषी प्रतीत नहीं होते हैं। उक्त तथ्य के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत हुआ जा सकता है।

6. मामले की समीक्षोपरान्त इस पर जल संसाधन विभाग का मंतव्य प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। तद्नुरूप संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा कर इस पर अपने मंतव्य से अवगत कराने का अनुरोध विभागीय पत्रांक 2322 दिनांक 22.08.2024 द्वारा जल संसाधन विभाग से की गई।

7. उक्त के प्रसंग में जल संसाधन विभाग द्वारा पत्रांक 400 दिनांक 13.02.2025 के माध्यम से संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष (आरोप सं0–01 एवं 02 प्रमाणित नहीं माना जा सकता है) से विभागीय सहमति संसूचित की गई।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की समग्र समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त श्री अशोक कुमार, कार्यपालक अभियंता को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

9. अतः श्री अशोक कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल दाउदनगर को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

SKumar
15/4/25

(संजय कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–32/2017 4214 /पटना, दिनांकः– 16.4.25

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

SKumar
15/4/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–32/2017 4214 /पटना, दिनांकः– 16.4.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

SKumar
15/4/25

अवर सचिव

ज्ञापांकः– 3/अ0प्र0–1–32/2017 4214 /पटना/दिनांकः– 16.4.25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री अशोक कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल दाउदनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Skumar
15/4/25
अवर सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in